


प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 22/12/2017 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 07 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 08) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'क' एवं 'ख' से संबंधित परिशिष्ट "आठ" के स्थान पर संलग्न "पुनरीक्षित परिशिष्ट" पढ़ा जावे।


राजेश मुणत
मंत्री
लोक निर्माण, आवास
एवं परिवहन
विभाग
लोक निर्माण विभाग

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 08

पुनरीक्षित

द्वारा :- डॉ. खिलवन साहू, सदस्य विधानसभा

परिशिष्ट "अ"

विषय :- जिला-जांजगीर-चाम्पा में ओल्डर ब्रिज का निर्माण।

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख में)	कार्य प्रारम्भ तिथि	अनुबंधानुसार कार्य की पूर्णता तिथि	क्या निर्माण से संबंधित अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है।	यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई है।
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला-जांजगीर-चांपा में चांपा थार्ड (रा.स. मार्ग क्र.200) पर रेलवे ओल्डर ब्रिज का निर्माण। (एल.सी.क्रमांक -337)	5405.00	14.12.13	13.09.2015	जी नहीं	प्रश्न ही नहीं उठता।
2	जिला-जांजगीर-चांपा में (रा.स.मार्ग क्र.200) पर खोक्सा रेलवे ओल्डर ब्रिज का निर्माण। (एल.सी.क्रमांक -342)	2926.29	17.01.13	16.10.2014	जी हाँ	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण मण्डल, रायगढ़ के द्वारा जांच में शिकायत निराधार पाई गई, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
3	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 200 के कि.मी. 127.500 से 178.944 तक (ढेका/दर्रीघाट) बनारी सेक्शन 4-लेन/2-लेन लंबाई 33.187 कि. मी. के कि.मी. 145.368 (मुरलीडीह पकरिया) में रेलवे ओल्डर ब्रिज का निर्माण	संयुक्त 7537.00	21.09.16	20.09.2018	जी नहीं	प्रश्न ही नहीं उठता।
4	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 200 के कि.मी. 127.500 से 178.944 तक (ढेका/दर्रीघाट) बनारी सेक्शन 4-लेन/2-लेन लंबाई 33.187 कि. मी. के 146.463 (मुरलीडीह पकरिया) में रेलवे ओल्डर ब्रिज का निर्माण		21.09.16	20.09.2018	जी नहीं	प्रश्न ही नहीं उठता।



अवर सचिव
छ.ग. शासन लो.नि.वि

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख में)	कार्य प्रारम्भ तिथि	अनुबंधानुसार कार्य की पूर्णता तिथि	क्या निर्माण से संबंधित अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है।	यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई है।
1	2	3	4	5	6	7
5	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 200 के कि.मी. 178.944 से 241.553 तक (बनारी से मसनियाकला सेक्शन) 2 लेन उन्नयन एवं चौड़ीकरण लंबाई 55.647 कि.मी. के कि.मी. 196.73 (सकरेली) में रेलवे ओल्डर ब्रिज का कार्य	2720.00	24.09.16	23.09.2018	जी नहीं	प्रश्न ही नहीं उठता।

JW
अवधू राधिव
छ.न. शासन के डि.ओ.

मुख्य अभियंता (यो.)
कार्या. प्रमुख अभियंता,
लो.नि.वि. नया रायपुर (छ.ग)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

(1)	प्रश्न क्रमांक	—	579
(2)	विभाग से उत्तर प्राप्त होने की अन्तिम तिथि	—	15/12/2017
(3)	सदन में उत्तर देने की तिथि	—	22/12/2017
(4)	वर्ग जिसके लिए वह तिथि नियत है	—	वर्ग-04

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

विषय:— कृषकों को अनुदान पर कृषि यंत्र/पंप/स्प्रिंकलर/ड्रिप उपलब्ध कराये जाने से लाभान्वित कृषक।

श्री सत्यनारायण शर्मा


तारांकित प्रश्न

क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि —

- (क) कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से माह अक्टूबर, 2017 तक कितने कृषकों को अनुदान पर कृषि यंत्र/पंप/स्प्रिंकलर/ड्रिप उपलब्ध कराया गया था तथा उक्त अवधि में कितने कृषक लाभान्वित हुए ?
- (ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 में नवम्बर, 2017 तक कितने कृषकों के द्वारा कृषि यंत्र/पंप/स्प्रिंकलर/ड्रिप अनुदान पर प्रदायगी हेतु आवेदन किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल)
उत्तर

(क) एवं (ख) की जानकारी परिशिष्ट-1 पर है।



(बृजमोहन अग्रवाल)
मंत्री

कृषि, पशुपालन, मछलीपालन,
जल संसाधन, आयाकट, धार्मिक न्यास
एवं धर्मस्व विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

परिशिष्ट-1

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 579 द्वारा श्री सत्यनारायण शर्मा, मान. सदस्य, छ.ग. विधान सभा

(क) कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं माह अक्टूबर 2017 तक अनुदान पर कृषि यंत्र/पंप/स्प्रिंकलर/ड्रिप प्राप्त करने वाले लाभान्वित कृषकों की संख्या का प्रयोजनवार जानकारी :-

क्र.	वर्ष/समयावधि	कृषि यंत्र	सिंचाई पम्प	सूक्ष्म सिंचाई आदान			महायोग (3+4+7)
				स्प्रिंकलर	ड्रिप	योग (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वर्ष 2016-17 (01.04.16 से 31.03. 2017 तक)	139513	40609	17713	4427	201348	381470
2	वर्ष 2017-18 (01.04.2017 से 31.10. 2017 तक)	9886	727	413	20	433	11046
योग		1,49,399	41,336	18,126	4,447	2,01,781	3,92,516

(ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 में नवम्बर, 2017 तक कृषकों से प्राप्त आवेदनों की संख्या का प्रयोजनवार जानकारी :-

कृषि यंत्र	सिंचाई पम्प	स्प्रिंकलर	ड्रिप	योग
12,914	4,848	8,443	3,345	29,550

(के.सी. पेंकस)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 22/12/2017 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 09 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्रमांक 203) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ।

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "क" में -

- इन पंजीकृत गौशालाओं में पशुओं की संख्या 28515 है।
- (परिशिष्ट -1) में, पंजीकृत गौशालाओं/संस्थाओं में संरक्षित पशुधन की जानकारी, सूची अन्तर्गत "क्रमांक 13" में उल्लेखित "आर्य विद्या सभा सलखिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) गौशाला में पशु संख्या 2462 एवं योग में 28515 है"।
- "अवैध परिवहन के दौरान 44089 पशु बरामद किये गये"।
- बरामद पशुओं की संख्या वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-
- क्रमांक-4 वर्ष 2014-15 बरामद पशुओं की संख्या 30922
- क्रमांक-5 वर्ष 2015-16 बरामद पशुओं की संख्या 162
- योग वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक बरामद पशुओं की संख्या 44089

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :-

- इन पंजीकृत गौशालाओं में पशुओं की संख्या 28515 के स्थान पर 26315 पढ़ा जाये।
- (परिशिष्ट -1) में, पंजीकृत गौशालाओं/संस्थाओं में संरक्षित पशुधन की जानकारी, सूची अन्तर्गत क्रमांक 13 में उल्लेखित आर्य विद्या सभा सलखिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) गौशाला में पशु संख्या 2462 के स्थान पर 262 पढ़ा जाये एवं योग 28515 के स्थान पर 26315 पढ़ा जाये।
- अवैध परिवहन के दौरान 44089 के स्थान पर 21282 पशु बरामद किये गये पढ़ा जाये।
- बरामद पशुओं की संख्या वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक का वर्षवार विवरण निम्नानुसार पढ़ा जाये :-
- क्रमांक-4 वर्ष 2014-15 बरामद पशुओं की संख्या 30922 के स्थान पर 3467
- क्रमांक-5 वर्ष 2015-16 बरामद पशुओं की संख्या 162 के स्थान पर 4810
- योग वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक बरामद पशुओं की संख्या 44089 के स्थान पर 21282



(बृजमोहन अग्रवाल)

मंत्री

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि, पशुधन विकास, मछलीपालन विभाग

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2017 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 1 (क्र. 559) प्रश्न (क)	भानुपुरी मुख्य मार्ग	भानपुरी मुख्य मार्ग
ता.प्र.सं. 2 (क्र. 25) शीर्षक	माल खरौद मार्ग	मालखरौदा मार्ग
ता.प्र.सं. 2 (क्र. 25) प्रश्न (ख)	जमीन पर रोड़ बना है?	जमीन पर रोड बना है?
ता.प्र.सं. 25 (क्र. 407) उत्तर (ग)	संलग्न प्रपत्र "ब" पर है	संलग्न प्रपत्र "स" पर है

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

परि.अता.प्र.सं. 2 (क्र. 41) प्रश्न (क)	धरमयगढ़ विधान सभा	धरजयगढ़ विधान सभा
परि.अता.प्र.सं. 2 (क्र. 41) उत्तर (क)	धरमयगढ़ विधान सभा	धरजयगढ़ विधान सभा

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अता.प्र.सं. 4 (क्र. 49) शीर्षक	वृहद बांध एवं माध्यम श्रेणी के जलाशयों में सिंचित रकबा	वृहद बांध एवं मध्यम श्रेणी के जलाशयों से सिंचित रकबा
अता.प्र.सं. 4 (क्र. 49) प्रश्न (क)	वृहद एवं माध्यम श्रेणी	वृहद एवं मध्यम श्रेणी
अता.प्र.सं. 28 (क्र. 402) उत्तर (क)	मस्तुरी विधान सभा	मस्तुरी विधान सभा

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

ता.प्र.सं. 15 (क्र. 459) परिशिष्ट "सात"/प्रपत्र-"ब"/पृ.क्र.- A-18/शीर्षक	रबी गीदम अंतर्गत	रबी मौसम अंतर्गत
--	------------------	------------------

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परि.अता.प्र.सं. 14 (क्र. 406) परिशिष्ट "तेईस"/पृ.क्र.- A-62/शीर्षक	परि.अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 406) के भाग (ख) की जानकारी	परि.अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 406) के भाग (घ) की जानकारी
--	---	---

दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-20 (क्र-579) का पृथक वितरित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 21 दिसम्बर 2017

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा